न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 156/2016

1 चौथमल पुत्र कालूराम।
2 राधेश्याम पुत्र चौथमल।
3 सुरेन्द्र पुत्र चौथमल।
4 पवन कुमार पुत्र चौथमल।
5 मुकेश कुमार पुत्र चौथमल समस्त जाति खाती निवासीगण मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दराम पुत्र स्नेहीराम।
2 अमरसिंह पुत्र मोहरूराम।
3 बुद्धराम पुत्र मोहरूराम।
4 गुलझारी पुत्र मोहरूराम।
5 भागोती बेवा विनोद कुमार समस्त जाति खाती निवासीगण मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 मनीष उम्र 16 वर्ष पुत्र विनोद कुमार नाबालिक जरिये वली कुदरती माता भागोती बेवा विनोद कुमार उम्र 35 वर्ष जाति खाती निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 निसू कुमार उम्र 14 वर्ष पुत्र विनोद कुमार नाबालिक जरिये वली कुदरती माता भागोती बेवा विनोद कुमार उम्र 35 वर्ष जाति खाती निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8 लक्ष्मी कुमारी पुत्री विनोद कुमार जाति खाती निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 नितू कुमारी पुत्री विनोद कुमार जाति खाती निवासी मोरवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 शेखावाटी ग्रामीण बैंक डूलानिया जरिये शाखा प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक डूलानियां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनू दावा उनवानी नन्दराम आदि बनाम चौथमल वगैरह बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 575/2013 (174/2006) निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—24-8-21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 575/2013 (174/2006) में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोरवा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 2.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372/50 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440/363 रकबा 1.49 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 9.04 हैक्टेयर के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदार काश्तकार वादीगण है। इस भूमि का पहले खातेदार वादी नम्बर 1 का दादा दिलसुख राम था, दिलसुख राम के इस भूमि के अलावा ग्राम मोरवा में अन्य भूमियां भी थी जिनमें खसरा नम्बर 70 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.98 हैक्टेयर है व अन्य भूमियां भी थी। दिलसुख राम के तीन पुत्र कालूराम, स्नेहीराम व मोहरूराम हुए। दिलसुख राम का बड़ा पुत्र कालूराम प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता था जो संवत 2012 से पहले ही अपने हिस्सा 1/3 की भूमि को लेकर अलग हो गया था। कालूराम को जो भूमि मिली उसमें से प्रतिवादी नम्बर 1 ने 16 बीघा खाम भूमि भालसिंह को विक्रय कर दी गत खसरा नम्बर 78 हाल खसरा नम्बर 14 को प्रतिवादी नम्बर 1 काश्त करता है। आगे दर्ज किया है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 50,283,348,364,440/363 व 372/50 के गत खसरा नम्बर 51 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 263 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 279 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा उक्त दिलसुख राम ने अपने पुत्र स्नेहीराम व मोहरूराम को जब कालूराम अलग हुआ उसी समय विभाजन करके दे दी थी। दिलसुख राम उस समय स्नेहीराम व मोहरूराम के सीर में रहा इसलिये भूमि दिलसुख के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में चलती रही। दिलसुख राम का स्वर्गवास के बाद विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 51,263,279 का नामान्तकरण स्नेहीराम, मोहरूराम के नाम दर्ज हो गया व राजस्व रिकार्ड भी इसी प्रकार तैयार हुआ। मोहरूराम के स्वर्गवास के बाद विवादित भूमि का हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण 131 मोहरूराम के वारिसान वादीगण 2 लगायत 9 के नाम दर्ज हुआ व स्नेहीराम के स्वर्गवास के बाद 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण वादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हुआ। आगे दर्ज किया है कि सन् 2012 में गत खसरा नम्बर 78 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 291 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा काश्त दर्ज था और कालूराम ने अपना हिस्सा अलग से प्राप्त करके उस पर काबिज काश्तकार हो गया था व विवादित भूमि में कालूराम का हिस्सा नही था। वादीगण ने आगे दर्ज किया है कि हाल सेटलमेन्ट अधिकारियों से साज करके प्रतिवादी नम्बर 1 ने विवादित भूमि में अपना हिस्सा 1/3 गलत दर्ज करवा लिया यह भी दर्ज किया है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सैटलमेन्ट अधिकारियों को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से विवादित भूमि में हिस्सा दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। सैटलमेन्ट अधिकारी सैटलमेन्ट से तुरन्त पहले की पृविष्टियों को दोहराने के लिए पाबन्द होते है जिस रिकार्ड को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है यह भी दर्ज किया है कि सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गये गलत राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई अधिकार हासिल नही हुए है। वादीगण ने यह भी दर्ज किया कि सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये गलत राजस्व रिकार्ड को आधार बनाकर प्रतिवादी नम्बर 2 से 5 ने प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दावा संख्या 128/2003 पेश किया तब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड देखने पर गलत राजस्व रिकार्ड का ज्ञान हुआ तब यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 2.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372/50 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440/363 रकबा 1.49 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 9.04 हैक्टेयर ग्राम मोरवा के हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादी नम्बर 1 को व हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादी नम्बर 2 लगायत 9 को घोषित किया जावे व इस भूमि के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि के कब्जा काश्त में वादीगण को दखल नही पहुचावें। वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में भूमि का रहन रख कर प्रतिवादी नम्बर 6 से ऋण ले लिया है उक्त रहन नामे से भूमि को मुक्त किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने निर्णय व डिक्री जैर बहस कैम्प कोर्ट में सुनवाई कर पारित किया है। अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता को कैम्प कोर्ट में सुनवाई की सूचना नही दी गई। कानून से रेवेन्यु कोर्ट मेन्वल 1956 पार्ट सैकण्ड के नियम 12 व 13 की पालना नही की गई। उक्त नियमों के मुताबिक कैम्प

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोर्ट की सूचना नही दी गई। उक्त नियमों के मुताबिक कैम्प कोर्ट में सुनवाई की सूचना दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 की तरफ से यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी का टिनेन्ट पहले दिलसुख राम रहा और दिलसुख राम के 3 पुत्र कालुराम, स्नेहीराम व मोहरूराम हुये। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि दिलसुख राम का देहान्त हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के बाद हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 1 स्नेहीराम का वारिस है। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 मोहरूराम के वारिस है। अपीलांट संख्या 1 कालुराम का वारिस है। अपीलांट संख्या 2 से 5 अपीलांट संख्या 1 की पुत्र सन्तान है। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड की व्याख्या गलत रूप से की है। अदालत मातहत ने पक्षकारान की प्लीडिंग को भी उचित रूप से डिस्कस नही किया है। विवादित आराजीयात का जब दिलसुख राम टिनेन्ट होना एक स्वीकृत तथ्य है और कालुराम दिलसुख राम की सन्तान होना स्वीकृत है तो उस सूरत में अपीलांट को 1/3 हिस्से से वंचित नही किया जा सकता। विवादित आराजियात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 का उनकी प्लीडिंग के मुताबिक भौतिक कब्जा काश्त नही रहा। जमीन जैर बहस के 1/3 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि कब्जे के बिना घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नही दिया जा सकता। अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दु को बिना डिस्कस किये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है। अन्दर मियाद 12 वर्ष जमीन जैर बहस को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 अथवा उनके पूर्वजो ने क्लेम नही किया। कानून से मियाद के बिन्दु को देखने का दायित्व स्वंय अदालत का भी होता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हाल सैटलमेन्ट से पूर्व वादीगण भूमि के खातेदार दर्ज थे व भूमि उनके कब्जा काश्त में संवत 2012 से चली आ रही थी परन्तु हाल सैटलमेन्ट के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग ने इस भूमि की खातेदारी के हिस्सा 1/3 में प्रतिवादीगण नम्बर 1 का नाम दर्ज हुआ है वादीगण ने अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित किया है कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज थी। सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के विवादित भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 चौथमल का नाम दर्ज किया है प्रतिवादीगण ने भी केवल कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम भू–प्रबन्ध विभाग ने दर्ज करना बताया है यानि उनका यह कथन नही रहा है कि सैटलमेन्ट विभाग ने किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम दर्ज किया हो इसके अलावा विवादित भूमि पर अपनी साक्ष्य के द्वारा अपना कब्जा भी साबित नही कर पाये है। प्रतिवादी नम्बर 1 जिसके नाम भूमि का 1/3 हिस्सा भू–प्रबन्ध विभाग ने दर्ज किया व स्वंय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में उपस्थित भी नही हुआ है जबकि वह प्रतिवादी पक्ष की और से मुख्य साक्षी था। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी को खातेदार घोषित करने, दर्ज करने व किसी की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार नही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक भूल नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर